



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट— थाना अफजलगढ

दिनांक 25.09.2023

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 363/23 धारा 354क/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि० से संबंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.09.2023 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 363/23 धारा 354क/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि० से संबंधित एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम—

- 1—उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2—हे०का० 761 नैम सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

थाना नगीना देहात पुलिस ने 01 अभियुक्त को 45 पक्के अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.09.2023 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रोहित पुत्र राजपाल नि० ग्राम समसपुर नसीब थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को एक प्लास्टिक के कट्टे में 45 पक्के अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस



संबंध में थाना नगीना देहात पर मु०अ०सं० 196/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. रोहित पुत्र राजपाल नि० समसपुर नसीब थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण—

1— एक प्लास्टिक कट्टे में 45 पक्के अवैध देशी शराब सुनामी मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1—हे०का० 426 मुकेश कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2—हे०का० 666 सचिन मलिक थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर